

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण सख्या:-65/2009

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

दायर दिनांक:-29.01.2009

जीसीएमएस नं. 2016/00240

1. जगनसिंह उम्र 25 साल
2. राधा किशन उम्र 24 साल
3. दीवान सिंह उम्र 23 साल उर्फ बनेसिंह
4. अजयसिंह उम्र 22 साल
5. नंदकिशोर उम्र 21 साल
6. शम्भु उम्र 50 साल
7. परीक्षत उम्र 45 साल

पिसरान कलुआराम जाति गुर्जर
निवासी रींझवास तहसील हिण्डौन
जिला करौली राजस्थान

पिसरान रुगा जाति गुर्जर निवासी रींझवास तहसील
हिण्डौन जिला करौली राज0।

-----वादीगण-07

बनाम

1. सरकार तामिल जरिये जिला कलक्टर करौली राज0
2. नादान उम्र 70 साल
3. रामस्वरूप उम्र 60 साल

पिसरान खुन्नी जाति गुर्जर निवासी रींझवास
तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

-----प्रतिवादीगण-03

दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 65/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री दरबसिंह एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री देवीसिंह जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वाद पत्र को साबित करने असफल रहा है। दावा खिलाफ प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-11-2011 को यह डिकी जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)